न्यायालय –अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं० 7 लखीमपुर–खीरी।

उपस्थितः अनिल कुमार राना (एच०जे०एस०)

(J.O. Code– UP2711)

दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका सं०– 71/2022

कम्प्टूर पंजीकरण सं० 73/2022

सी०एन०आर०नं०– यू०पी०एल०पी० 01–007093–2022

1– श्रीमती दविन्दर कौर पुत्री बल्देव सिंह पत्नी कलविन्दर सिंह , निवासी ग्राम पूजा गांव आषाढ़ी , थाना फूलबेहड़ , जिला लखीमपुर –खीरी ।

------ पुनरीक्षणकर्ता ।

बनाम

1– सुरता सिंह पुत्र स्व० वचन सिंह

2– गुरजीत सिंह पुत्र बलविन्दर सिंह

3– सुखविन्दर सिंह पुत्र बलदेव सिंह

4– बल्देव सिंह पुत्र सोहन सिंह

निवासीगण ग्राम टांडा गुलाब राय , थाना माधौ टांडा , जिला पीलीभीत ।

5– जगमोहन पुत्र कुलदीप सिंह , निवासी सहजनिया , पटपुरा खटीमा , थाना खटीमा , जिला उधम सिंह नगर

6– उ०प्र० सरकार जरिये जिलाधिकारी खीरी ।

-------प्रत्यर्थीगण ।

निर्णय

1– पुनरीक्षणकर्ता दविन्दर कौर द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट , लखीमपुर खीरी द्वारा परिवाद सं० 3200/2019 , श्रीमती दविनदर कौर बनाम सुरता सिंह आदि , में पारित आदेश दिनांकित 12–08–2022 के विरूद्ध योजित की गयी है , जिसके द्वारा विपक्षीगण/ प्रत्यर्थीगण सुरता सिंह , बल्देव सिंह , गुरजीत सिंह , सुखविंदर सिंह , जगमोहन सिंह को अपराध धारा 323 भा०दं०सं० के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किया गया है ।

2– पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 12–08–2022 विधि विरूद्ध , खिलाफ कानून बगैर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना पारित किया गया आदेश

है , जो निरस्त होने योग्य है ।

3– पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आलोच्य आदेश पारित करते समय अवर न्यायालय द्वारा तथ्यों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन नहीं किया है । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से पुनरीक्षणकर्ता/ परिवादिनी के घर प्रत्यर्थीगण /अभियुक्तगण का जाना और गृह अतिचार कर मारपीट किये जाने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने जैसे तथ्य साबित हो रहे है , परन्तु अवर न्यायालय के द्वारा इन उपरोक्त तथ्यों को अपने आदेश में न उल्लेख और मात्र केवल विपक्षीगण को मात्र अपराध अन्तर्गत धारा 323 भा०दं०सं० में विचारण हेतु तलब करना और गृह अतिचार करते हुए मारपीट करने के अपराध में धारा 452 भा०दं०सं० में सम्मन न करते हुए त्रुटि कारित की है । विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अवर न्यायालय द्वारा थाने से घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जाँच आख्या अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० मंगवायी गयी थी , परन्तु अवर न्यायालय के द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय उपरोक्त जाँच आख्या में आये तथ्यों का विश्लेषण न कर विधिक त्रुटि की है । अतएव अवर न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है , जिसे निरस्त किया जाये ।

4– प्रत्यर्थी सं० 6 राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि अवर न्यायालय का आदेश विधि सम्मत आदेश है । अवर न्यायालय के द्वारा परिवाद में आये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए और यह पाते हुए कि प्रत्यर्थी सं० 1 ता 5 सुरता सिंह , बल्देव सिंह , गुरजीत सिंह , सुखविंदर सिंह , जगमोहन सिंह के द्वारा परिवादिनी / पुनरीक्षणकर्ता के साथ मारपीट की गयी है , जैसे तथ्यों पर अभियुक्तगण को स्वेच्छया उपहति कारित करने के अपराध धारा 323 भा०दं०सं० में विचारण हेतु सम्मन किया है । अवर न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांकित 12–08–2022 स्थिर रहने योग्य आदेश है ।

5– पुनरीक्षण याचिका पर प्रत्यर्थी सं० 1 ता 5 उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से कोई उपस्थित आया , इसलिए उनके पक्ष को सुना नहीं जा सका । पुनरीक्षण याचिका पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी सं० 6 की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) को सुना व तलबिदा परिवाद सं० 3200/2019 , श्रीमती दविनदर कौर बनाम सुरता सिंह आदि की पत्रावली का अवलोकन किया ।

6– परिवादिनी दविन्दर कौर द्वारा धारा 200 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत स्वयं का साक्ष्य तथा धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत पी०डब्लू० 1 गुरूदेव सिंह एवं पी०डब्लू० 2 मन्जोत सिंह को परीक्षित कराया गया है । परिवादी द्वारा धारा 200 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत सशपथ बयान में यह कथन किया है कि उसकी शादी 2011 में हुई थी । उसके बाद उससे दहेज की मांग करने लगे , गाड़ी की मांग की , जो कि उसके पिता ने दिलाई थी । 2015 में उन्होंने उसे मारा , पति ने घर से निकाल दिया । उसने घरेलू हिंसा का मुकदमा लिखवाया था । उसमें उसने समझौता किया । उन लोगों ने फिर

भी उससे रंजिश रखी और उसे प्रताड़ित करने लगे । वह माँ बनने वाली थी , उसके पेट में 2 महीने का बच्चा था , वो भी नुकसान हो गया । वह अस्पताल में भर्ती रही । वह जब वापस ससुराल गयी तो उसे जान से मारने की कोशिश की , फिर उसके मायके वाले उसे वापस लेते आये । दिनांक 30–09–2019 को समय 02 बजे दिन में उसके मायके में घुसकर सब लोगों ने मिलकर बहुत मारा पीटा । उसके ससुर सुरता सिह , गुरूजीत सिंह , सुखविन्दर सिंह , बलदेव सिंह , जगमोहन सिंह , इन लोगों ने मिलकर उसे मारा पीटा , जान से मारने की कोशिश की । गन्दी गन्दी गालियाँ देते है ।

7– परिवादिनी की ओर से धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत साक्षी पी०डब्लू० 1 गुरूदेव सिंह को परीक्षित कराया गया , साक्षी ने कहा है कि परिवादिनी दविन्दर कौर उसकी पुत्री है । दविन्दर कौर का विवाह सन् 2011 में कुलविन्दर सिंह के साथ हुआ था । विपक्षी सं० 1 उसकी बेटी का ससुर है तथा विपक्षी सं० 2 ता 5 विपक्षी सं० 1 के सगे सम्बन्धी है । दविन्दर के विवाह में उसने घर गृहस्थी का कीमती सामान तथा उपहार स्वरूप जेवर सोने चांदी के व नगदी पाँच लाख रूपये दिये थे । इसके अतिरिक्त सुरता सिंह की मांग पर दहेज में मारूती अल्टो कार भी दी थी । विपक्षी सं० 5 उसके पुत्री के नन्दोई है और अपने विवाह के उपरान्त अधिकतर गुलाब राय टांडा में ही रहते है और अनावश्यक रूप से दविन्दर कौर को अतिरिक्त दहेज के लिए मारते–पीटते तथा अतिरिक्त दहेज में Luxury कार की मांग करने लगे और आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व मारपीट कर पति समेत घर से निकाल दिया था तब उसकी पुत्री ने सक्षम न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था , जिसमें विपक्षीगण सुलह समझौता कर उसकी पुत्री को उसके ससुराल ले गये थे , परन्तु कुछ दिन बाद पुनः मारपीट प्रारम्भ कर दी । दिनांक 22– 06–2019 को विपक्षी क्रमांक 1 ता 5 ने उसकी पुत्री दविन्दर कौर को बुरी तरह मारा पीटा , मारपीट के कारण उसकी पुत्री के पेट में पल रहे गर्भ का गर्भपात हो गया , जिसकी रिपोर्ट उसके दामाद कुलविन्दर सिंह ने थाना माधवटांडा में लिखवायी थी । इसी मारपीट के कारण विपक्षीगण ने दिनांक 29–09–2019 को उसकी पुत्री का समस्त स्त्रीधन छीनकर घर से भगा दिया । दिनांक 30–09–2019 को समय लगभग दिन के दो बजे विपक्षीगण सुरता सिंह , गुरूजीत सिंह , सुखविन्दर सिंह व बल्देव सिंह तथा जगमोहन सिंह और उसके गांव पूजागांव अषाढ़ी आये और आक्रामक होकर जबरन घर में घुसकर नाजायज गालियाँ देते हुए उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर उसे जबरन उठा ले जाने का प्रयास किया । उसके शोर पर उसका भतीजा मन्जीत सिंह व अन्य लोग आ गये , जिससे विपक्षीगण जान माल की धमकी देकर भाग गये । उसकी पुत्री के शरीर पर आयी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण जिला अस्पताल खीरी में दिनांक 01–10–2019 को हुआ था ।

8– परिवादी की ओर से धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत पी०डब्लू० 2 मन्जोत सिंह को परीक्षित कराया गया है , जिसने अपने बयानों में कहा है कि दिनांक 22–06–2019 को परिवादिनी देवेन्द्र कौर को विपक्षी सं० 1 ता 5 ने बुरी तरह मारा

पीटा था । मारपीट के कारण उसके 2 माह के शिशु के गर्भ का गर्भपात हो गया था , जिसकी रिपोर्ट थाना माधवटांडा , जिला पीलीभीत में लिखवायी गयी थी । इसी मारपीट के कारण उसकी बहन दविन्दर कौर सभी विपक्षीगण ने घर से भगा दिया था । घटना दिनांक 30–09–2019 को समय लगभग दिन 2 बजे की है । विपक्षीगण सुरता सिंह , गुरूप्रीत सिंह , सुखविन्दर सिंह व बल्देव सिंह तथा जगमोहन सिंह उसके घर ग्राम पूजागांव अषाढ़ी आये और आक्रामक होकर जबरन घर में घुसकर नाजायज गालियां देते हुए उसकी बहन दविन्दर कौर को जबरन ले जाने का प्रयास किया तथा जान से मार डालने की नियत से बुरी तरह से मारा पीटा । उन लोगों की शोरगुल सुनकर पहुंचने पर विपक्षीगण जान माल की धमकी देते हुए भाग गये ।

9– मैंने पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त परिवादिनी दविन्दर कौर व उसके साक्षियों पी०डब्लू० 1 गुरूदेव सिंह व पी०डब्लू० 2 मन्जोत सिंह के मौखिक साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया तो यह पाया कि परिवादिनी दविन्दर कौर ने अपने बयान 200 दं०प्र०सं० में दिनांक 22–06–2019 की घटना तथा दिनांक 29–09–2019 की घटना के बारे में कोई कथन नहीं किया है कि उसके साथ क्या आपराधिक घटना घटित हुई और किसके द्वारा आपराधिक घटना कारित की गयी थी । यहाँ उल्लेखनीय है कि परिवादिनी के द्वारा जो साक्षी पी०डब्लू० 1 गुरूदेव सिंह व साक्षी पी०डब्लू० 2 मन्जोत सिंह को परीक्षित कराया है , उन्होंने दिनांक 22–06–2019 के परिपेक्ष्य में एक समान बयान दिया है कि उपरोक्त घटना की प्राथमिकी जिला पीलीभीत में करायी जा चुकी है ।

10– परिवादिनी के द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में दिनांक 30–09–2019 की घटना के बारे में यह कथन किया गया है कि विपक्षीगण ने उसके घर आये और उसके साथ उन्होंने मारपीट की है । परिवादिनी अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में यह नहीं बताया कि विपक्षीगण में से किसने उसे जान से मारने की कोशिश की थी । साक्षी पी०डब्लू० 1 गुरूदेव सिंह , जो कि परिवादिनी का पिता है , ने अपने बयानों में परिवादिनी को जान से मारने की कोशिश किये जाने जैसा कोई कथन नहीं किया है । इस प्रकार जो उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया परिवादिनी के साथ विपक्षीगण / प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक 30–09–2019 की घटना में स्वेच्छ्या उपहति कारित किये जाने का अपराध दर्शित हो रहा है । अतएव अवर न्यायालय के द्वारा विपक्षीगण को अपराध धारा 323 भा०दं०सं० में जो सम्मन कर तलब किया है , वह विधि सम्मत आदेश है । यह उल्लेखनीय है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी दाण्डिक वाद में किसी अभियुक्त को विचारण के लिए समन किये जाने हेतु मात्र केवल यह देखना होता है कि क्या पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध है , जिससे प्रथम दृष्टया कोई अपराध किया जाना परिलक्षित हो रहा हो , और यदि प्रथम दृष्टया कोई अपराध कारित किया जाना पाया जाता है तो ऐसी दशा में अभियुक्त को पर्याप्त आधार पाते हुए विचारण हेतु धारा 204 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत आहूत किया जा सकता है ।

11– यहाँ यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने विधि व्यवस्था **शिवमूर्ति यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 (88) ए०सी०सी० 1493,** में पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख करते हुए कथन किया है कि –

"It is settled principle of law that the revisional jurisdition is not as wide as the appellate jurisdiction and under the revisional jurisdiction, the revisional court is required to exercise its power where there is material irregularity or manifest error of law or procedure or there is misconception or misleading of evidence or where the court below has failed to exercise jurisdiction vested in it or has exercised the jurisdiction wrongly and perversely or where the facts admitted or proved does not disclose any offence."

12– माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था **Sanjaysinh Ramrao Chavan vs . Dattatray Gulabrao Phalke & Ors ., 2015 (3) SCC 123** में पुनरीक्षण शक्तियों को स्पष्ट करते हुए निम्नरूप से अवधारित किया है–

" Unless the order passed by the Magistrate is perverse or the view taken by the court is wholly unreasonable or there is non - consideration of any relevant material or there is palpable misreading of records , the Revisional Court is not justified in setting aside the order , merely because another view is possible . The Revisional Court is not meant to act as an appellate court . The whole purpose of the revisional jurisdiction is to preserve the power in the court to do justice in accordance with the principles of criminal jurisprudence . The revisional power of the court under sections 397 to 401, Cr.P.C . is not to be equated with that of an appeal . Unless the finding of the Court , whose decision is sought to be revised , is shown to be perverse or untenable in law or is grossly erroneous or glaringly unreasonable or where the decision is based on no material or where the material facts are wholly ignored or where the judicial discretion is exercised arbitrarily or capriciously , the courts may not interfere with decision in exercise of their revisional jurisdiction ."

13– इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में इस न्यायालय का यह मत है कि अवर न्यायालय के द्वारा परिवाद में प्रस्तुत प्रकरण के विपक्षीगण/ प्रत्यर्थीगण सुरता सिंह , बल्देव सिंह , गुरजीत सिंह , सुखविंदर सिंह , जगमोहन सिंह की अपराध अन्तर्गत धारा 323 भा०दं०सं० में सम्मन जारी कर तलब किया गया , उसमें कोई विधिक अनियमितता और त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । उपरोक्त साक्ष्य के खण्डन में पुनरीक्षण याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया , जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता हो कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश असंगत तथ्यों पर आधारित हो । इस प्रकार परिवाद सं० 3200/2019 में पत्रावली पर उलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य के

आधार पर प्रत्यर्थीगण/ अभियुक्तगण सुरता सिंह , बल्देव सिंह , गुरजीत सिंह , सुखविंदर सिंह , जगमोहन सिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 323 भा०दं०सं० के अन्तर्गत , जो उन्हें विचारण हेतु आहूत किये जाने का आदेश पारित किया गया है , उसमें न तो तथ्यात्मक एवं विधि की कोई त्रुटि है , जो कि एक विधि सम्मत पारित किया गया आदेश है , जो कि पुष्ट किये जाने योग्य है ।

14– उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश दिनांकित 12–08–2022 में तथ्य व विधि तथा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि नहीं है , ऐसी दशा में आक्षेपित आदेश स्थिर रहने योग्य है तथा पुनरीक्षण याचिका आधारहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

प्रश्नगत पुनरीक्षण याचिका सं० 71/2022 निरस्त की जाती है । अवर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12–08–2022 पुष्ट किया जाता है । संबंधित न्यायालय का तलबशुदा मूल अभिलेख वापस प्रेषित किया जाये । पक्षकार नियत दिनांक 09–08–2024 को सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित हो ।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

(अनिल कुमार राना)
दिनांक 02–08–2024 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं० 7, लखीमपुर खीरी।
J.O.Code–U.P. 2711

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार राना)
दिनांक 02–08–2024 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं० 7, लखीमपुर खीरी।
J.O.Code–U.P. 2711